



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 418 राँची, सोमवार, 26 आषाढ, 1945 (श०)
17 जुलाई, 2023 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

10 जुलाई, 2023

संख्या-01/भू०स्था०(नियमावली)-05-05/2016-1146--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन अधिसूचित झारखण्ड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) में संशोधन करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभ:-

- (I) यह नियमावली "झारखण्ड भूतात्विक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023" कहलायेगी ।
- (II) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (III) यह संशोधन अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. झारखण्ड भूतत्व सेवा नियमावली, 2011-सह-यथा संशोधित झारखण्ड भूतात्विक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 भाग-X के नियम-38 के अनुसूची (क) के क्रम सं. I, II, III एवं IV को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:

विभागीय परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

क्र० सं०	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समयावधि
I	हिन्दी (लिखित)	200	120	3 घंटा
	हिन्दी (मौखिक)	100	60	-
II	जनजातीय भाषा (लिखित) संथाली/मुंडारी/उराँव/हो	100	60 उच्च स्तर 50 निम्न स्तर	3 घंटा
	जनजातीय भाषा (मौखिक) संथाली/मुंडारी/उराँव/हो	100	60 उच्च स्तर 50 निम्न स्तर	-
III	लेखा (पुस्तक रहित)	100	50	1.30 घंटा
iv	लेखा (पुस्तक सहित)	100	50	1.30 घंटा

नोट-1. उपरोक्त विषयों का पाठ्यक्रम कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3372 दिनांक-18.06.2003 द्वारा निर्धारित है।

2. झारखण्ड भूतात्विक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 के भाग-X के नियम-38 के अनुसूची(क) का क्रम सं0-V यथावत रहेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबकर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव।

उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा का अधिकृत पाठ समझा जायेगा।

DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY

NOTIFICATION

10th July, 2023

No.01/भू-स्था(नियमावली)-05-05/2016&1146--In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to make following rule to amend the "The Jharkhand Geological Service Rules, 2011" (as amended)

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

(i) This Rule shall be called "**Jharkhand Geological Service (Amendment) Rule, 2023**

(ii) It shall extend to the whole State of Jharkhand.

(iii) This rule shall come into force from the date of publication of this notification in the official gazette of the State.

2. In Schedule-A of Rule 38 Serial No. I, II, III and IV of the Jharkhand Geological Service Rules, 2011 as amended Jharkhand Geological Service (Amendment) Rules, 2022 is substituted as under.

Sl. no.	Subject	Full Marks	Pass Marks	Time
I	Hindi (Written)	200	120	3 hrs.
	Hindi (Oral)	100	60	-
II	Tribal Language (Written) Santhali/Mundari/Oraon /Ho	100	60 High Level 50 Low Level	3 hrs.
	Tribal Language (Oral) Santhali/Mundari/Oraon /Ho	100	60 High Level 50 Low Level	-
III	Accounts (Without Book)	100	50	1.30 hrs.
IV	Accounts (With Books)	100	50	1.30 hrs.

Note:-1. Syllabi of above mentioned subjects is determined by resolution no. 3372 dated-18.06.2003 of Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha.

2. Serial no. V of Schedule A (Rule-38), Part X of Jharkhand Geological Service (Amendment) Rules, 2022 shall remain the same.

By the order of the Governor,

Aboobacker Siddique P.,
Secretary to the Government.